न्यायालय विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश पीलीभीत।

Bail Application No. 374 /2026
CNR No.UPPBO1001180-2026
Case Filing No.1108/2026

लालाराम पुत्र ननकू निवासी ग्राम पिपरिया संतोष थाना माधोटांडा जिला पीलीभीत।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

अपराध संख्या–1030/2023
धारा–138(1)(बी.) विद्युत अधिनियम
थाना–एंटी पॉवर थ्रेफट, पीलीभीत।

दिनॉक :–07.03.2026

मुकदमा अपराध संख्या–1030/2023, अंतर्गत धारा 138(1)(बी.) विद्युत अधिनियम थाना एंटी पॉवर थ्रेफट जिला पीलीभीत के मामले में अभियुक्त लालाराम पुत्र ननकू निवासी ग्राम पिपरिया संतोष थाना माधोटांडा जिला पीलीभीत की ओर से जमानत आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन के अनुसार दिनॉक 27.04.2023 को समय 10.20 बजे से 10.40 बजे के मध्य स्थान वहद ग्राम पिपरिया संतोष तह. कलीनगर थाना माधोटांडा जिला पीलीभीत में वादी मुकदमा जयपाल सिंह अवर अभियन्ता के द्वारा अभियुक्त का संयोजन सं. 731701707251 को चैक किया गया तो अभियुक्त अनाधिकृत रूप से विद्युत की चोरी करता हुआ पाया गया जबकि अभियुक्त का विद्युत संयोजन पूर्व मे बकाया मु. 15998/–रू. अदा न किए जाने के कारण दिनॉक 19.10.2022 को विच्छेदित किया जा चुका था। उक्त के सम्बन्ध मे वादी मुकदमा द्वारा थाना हाजा पर अभियोग दर्ज कराया गया।

अभियुक्त द्वारा जमानत आवेदन मे आधार लिया गया है कि प्रार्थी को उपरोक्त वाद में बिजली विभाग द्वारा फर्जी तरीके से फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी पर उपरोक्त धारा का कोई अपराध नहीं बनता है। प्रार्थी द्वारा उपरोक्त कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। प्रार्थी का घरेलू कनेक्शन है। प्रार्थी का बिजली विभाग का बकाया प्रार्थी द्वारा जमा किया जा चुका है। प्रार्थी पूर्व दोषसिद्ध व्यक्ति नहीं है और प्रार्थी पर बिजली विभाग का कोई शेष बकाया धनराशि नहीं है। प्रार्थी अपनी जमानत देने को तैयार है। प्रार्थी भविष्य में जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। उक्त आधारो पर जमानत आवेदन स्वीकार कर जमानत पर अवमुक्त किए जाने की याचना की गयी है।

विद्युत विभाग के विशेष अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि विद्युत चेकिंग के दौरान अभियुक्त का संयोजन सं. 731701707251 को चैक किया गया तो अभियुक्त अनाधिकृत रूप से विद्युत की चोरी करता हुआ पाया गया।

Digitally signed by Anu Saxena
Date: 2026.03.18 11:23:04 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उभयपक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण को सुना एवं उपलब्ध अन्य समस्त प्रपत्रो का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित है कि अभियुक्त पर विद्युत चेकिंग के दौरान उसका विद्युत संयोजन सं. 731701707251 को चैक करने पर अनाधिकृत रूप से विद्युत की चोरी करने का आक्षेप है। अभियुक्त की ओर से उसके विद्वान् अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि अभियुक्त के द्वारा विद्युत विभाग की बकाया धनराशि जमा कर दी जा चुकी है। अभियुक्त की ओर विद्युत बिल जमा लिए जाने संबंधी प्रपत्र जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न पत्रावली है। अतः मामले के गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना मामले के तथ्यो एवं परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त लालाराम की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी/अभियुक्त लालाराम की ओर से मुकदमा अपराध संख्या—1030/2023, वाद सं0—1646/2025 अंतर्गत धारा 138(1)(बी) विद्युत अधिनियम थाना एंटी पॉवर थेफ्ट, जिला पीलीभीत के मामले में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त लालाराम को, उसके द्वारा मु. 25,000/—रू. के दो प्रतिभू एवं समानराशि का बंधपत्र दाखिल किए जाने पर दौरान विचारण जमानत पर अवमुक्त किया जाता है।

(अनु सक्सेना)
विशेष न्यायाधीश (ई.सी.एक्ट)
चतुर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश
पीलीभीत।